# (ख) पाँच दिवसीय शिविर

पाँच दिवसीय शिविर का आयोजन विद्यालयों में कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के लिए संयुक्त रूप से किया जाता है। शिविर में विद्यार्थियों से करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यो का विस्तृत विवरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ही समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (कक्षा 9) में दिया गया है तथापि शिविर की महत्ता तथा उसके आयोजन से सम्बंधित आवश्यक तथ्य यहाँ पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

## शिविर का महत्त्व –

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय के अन्तर्गत कक्षा–कार्य से अधिक महत्वपूर्ण कार्य शिविर का आयोजन है। छात्र को उसके कर्त्तव्यों का बोध कराने के साथ समाज के प्रति उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने, उसे श्रम की महत्ता से परिचित रखते हुए उसमें छिपी असीम निर्माण–शक्ति से उसे स्वयं को अवगत कराना शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। पारस्परिक सौहार्द्र, सद्भाव एवं राष्ट्रीय–एकता के विचारों का अंकुरण भी शिविर–जीवन से होता है और सबसे बड़ी बात है कि स्वावलम्बन की भावना को इससे बल मिलता है। ऐसे आयोजन से सांस्कृतिक रूचि का परिष्करण और नेतृत्व के गुणों का विकास करने में भी शिविर के आयोजन सहयोगी सिद्ध होते हैं।

## शिविर का आयोजन

शिविर का संयोजन, संचालन एवं निष्पादन भी व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। इस हेतु एक शिविर–संचालन समिति बना लेनी चाहिए। इसमें, जहाँ शिविर लगाया जाता है, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति/अधिकारी सम्मिलित कर लिए जाने चाहिए।

शिविर–स्थल का चुनाव पूरी सावधानी से किया जाना चाहिए। पाँच दिवसीय शिविर आयोजन के लिए आवश्यक यह है कि स्थान सभी दृष्टि से सुरक्षित हो। वहाँ बिजली, पानी और आवास की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा भी हो और आवासीय–स्थल के निकट ही शिविर–स्थल हो।

आवागमन के साधनों की समुचित उपलब्धि हो, वैसे अनुकूल तो यह है कि शिविरों का आयोजन अपने विद्यालय स्थल से दूरी पर ही किया जाना चाहिए, ताकि संभागियों को नयापन लगने के साथ उत्साह से शिविर–कार्य करने की प्ररेणा मिल सके। यदि बाहर जाना संभव न हो, तो असुविधाओं के होते हुए भी, बाहर ही शिविर लगाना आवश्यक नहीं है। ऐसे शिविर विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण के निकट, किसी अन्य सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला, पंचायत–भवन, सामुदायिक मनोरंजन केन्द्र आदि में आयोजित किये जा सकते है।

ऐसे शिविर आयोजनों की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक रूप से भेज देनी चाहिए। शिविर में विभिन्न विषयों के वार्ताकारों, विशिष्ट अतिथियों एवं अभिभावकों को पूर्वतः आमंत्रित कर लिया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके।

शिविर में सामुहिक रूप से रहना, अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों में पारिवारिक स्नेह, अनुशासन एवं व्यवस्थित जीवनयापन करने के भाव सम्प्रेषित करता है। व्यक्तिगत सामुदायिक हितार्थ कार्य करने की

प्रेरणा प्रदान करता है। इसी के साथ नेतृत्व–क्षमता का विकास करता है।

शिविर आयोजन को भी निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक साधना के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अन्तर्गत भी चार क्षेत्रों की स्थापना की गई है।

## क्षेत्र [I] – सामुदायिक सेवा कार्य करना

(1) स्थानीय सन्दर्भ में सामाजिक चेतना एवं राष्ट्रीय चेतना कार्य जैसे – टीकों का ज्ञान, साक्षरता का प्रसार, अल्प बचत, स्वास्थ्य ज्ञान, पर्यावरण एवं प्रदूषण, सहकारिता और नामांकन आदि।

(2) वृक्षारोपण एवं रोपित वृक्षों की सुरक्षा कार्य।

(3) सार्वजनिक स्थानों की सफाई, पनघट की सफाई एवं पानी के गड्ढ़ों में फिनाइल एवं केरोसीन डालना।

(4) शिविर स्थल की सफाई और उनका सौन्दर्यीकरण।

(5) भोजन बनाना, भोजन परोसने की सेवाएँ, जल तथा प्रकाश व्यवस्था।

(6) सेवा कार्य – वृद्धाश्रम, अनाथालय, दृश्यानुभूति व संवेदन हेतु भ्रमण व सेवा कार्य।

(7) मेले, त्यौहार, सम्मेलन में जल व्यवस्थता, वाहन व्यवस्था व पदवेश (जूतों) व्यवस्था।

## क्षेत्र [III]सर्वेक्षण एवं संकलन कार्य

(1) सर्वेक्षण एवं आलेख तैयार करनाः सामाजिक कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग स्थानीय कृषि भूमि उपज, विभिन्न व्यवसाय लोक कथा, लोक गीत, मुहावरे लोकोक्तियाँ, निरक्षरता, विद्यालय परित्याग करने वाले छात्र, टीके लगे शिशु, खेलों में दक्ष व्यक्ति, शिक्षित बालिकाएँ, बेरोजगार व्यक्ति आदि।

(2) संकलन कार्य एवं आलेख तैयार करना।

(3) पर्यावरण अध्ययन (भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं प्रदूषण सम्बन्धी)

## क्षेत्र [II] – राष्ट्रीय भावनात्मक एकता प्रायोजना कार्य

इस क्षेत्र की प्रवृत्तियों का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का विकास करना है, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रवृत्तियाँ की क्रियान्विति निम्नांकित दो पक्षों को आधार बनाकर दी जा सकती है –

**(1) महापुरूषों के जीवन चरित्र से सम्बन्धित प्रवृत्तियाँ**

(क) शिविर में सम्भागी छात्रों के दल का नामांकन महापुरूषों के नाम पर करना।

(ख) सम्बन्धित महापुरूषों के जीवन चरित्र पर वार्त्ताएँ आयोजित करना।

(ग) सम्बन्धित महापुरूषों के कथन सूक्तियाँ, विचारों आदि का संकलन करना।

(घ) सम्बन्धित महापुरूषों के जीवन वृत्त उल्लेखनीय घटनाओं का लेखन एवं चित्रण तथा चित्र संग्रह करना।

(ङ) सम्बन्धित महापुरूषों की जीवनवृत्त की महत्वपूर्ण घटनाओं की झांकी प्रस्तुत करना।

**(2) देश की विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर से सम्बन्धित प्रवृत्तियाँ**

(क) शिविर में संभागी छात्रों के प्रत्येक दल का स्वयं को एक राज्य विशेष से सम्बन्ध करना।

(ख) सम्बन्धित राज्य की भौगोलिक स्थिति का अंकन, चित्रण एवं लेखन

(ग) सम्बन्धित राज्य के विशिष्ट स्थानों से सम्बन्धित आलेख तैयार करना।

(घ) सम्बन्धित राज्य के सांस्कृतिक रूपों की प्रस्तुतियों वेशभूषा, अभिनय गायन, झाँकी, नृत्य, संवाद चित्रण, रीति–रिवाज आदि।

## क्षेत्र [ IV ] – सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्य

(1) सांस्कृतिक कार्यक्रम – नृत्य, सामूहिक गीत, एकांकी, एकाभिनय प्रदर्शन आदि।

(2) साहित्यिक कार्यक्रम – कविता पाठ, वाद–विवाद, समस्यापूर्त्ति, लघु–कथा, कथन, चुटकुले आदि।

(3) कैम्पफायर (संवाद, लोकगीत, लोक भजन, नृत्य व अन्य कार्यक्रम)

(4) योगाभ्यास, व्यायाम एवं रोचक खेल।

उपर्युक्त सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्क कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय चेतना एवं समाज सुधार, से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किये जाये। दैनिक कार्यक्रम में व्यायाम से पूर्व प्रणव ध्वनि तथा शयन से पूर्व कार्योत्सर्ग तथा प्रेक्षाध्यान सम्मिलित किया जा सकता है।

## शिविर–कार्यक्रम

शिविर को अन्तिम रूप तो बहुत पहले से दे देना चाहिए, ताकि शिविर आरम्भ से ही व्यवस्थित एवं विधिवत् रूप से संचालित हो तथा सम्पूर्ण समय का सदुपयोग हो सके।

इस हेतु शिविर की वास्तविक तिथियों की घोषणा प्रार्थना–सभा में करने के साथ सूचना पट पर अंकित कर देनी चाहिए।

पाँच दिवसीय शिविरों के आयोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वतः पूरी कर लेनी चाहिए ताकि छात्रों के पहुँचने से लेकर वापसी तक के उत्पाद, उपयोगी कार्य से जुड़े रहें।

शिविर में आयोज्य चार परिक्षेत्रों को समस्त गतिविधियों को इस प्रकार समय विभाग चक्र में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए कि संभागी समूचे समय अपने को किसी न किसी कार्य में व्यस्त हुआ पाये।

शिविर संचालन का दैनिक कार्यक्रम निम्नांकित रूप से प्रस्तावित है। शिविर की विभिन्न प्रवृत्तियों के लिये जो अवधि निर्धारित की गई है। उसमें कमी किये बिना स्थान मौसम एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

## दैनिक कार्यक्रम

**प्रथम दिवसः–**

| | | |
|---|---|---|
| प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक | – | विद्यालय परिसर में एकत्रित होना, शिविर सामग्री व्यवस्थित कर शिविर स्थल तक के जाने का दायित्व विभाजित करना। |
| 12.00 बजे से 3.00 बजे तक | – | शिविर स्थल पर उप समूहवार आवास व्यवस्था। |

| | | |
|---|---|---|
| 3.00 बजे से 5.00 बजे तक | – | प्रथम सम्मेलन, विद्यालय ध्वजारोहण एवं शिविर परिचय, आवश्यक निर्देश, सर्वेक्षण कार्य विभाजन। |
| 5.00 बजे से 6.00 बजे तक | – | खेल–कूद। |
| 6.00 बजे से 8.00 बजे तक | – | भोजन (साथ लाया हुआ)। |
| रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक | – | सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्य की तैयारी। |
| रात्रि 10.00 बजे | – | शयन (ईश्वर स्तुति के छः वेद मंत्र पाठ) |

**द्वितीय दिवस**

| | | |
|---|---|---|
| प्रातः 4.30 बजे | – | जागरण (ईश्वर स्तुति के पाँच वेद मंत्र) |
| प्रातः 4.30 बजे से 6.00 बजे तक | – | नित्य कर्म। |
| प्रातः 6.00 बजे से 6.30 बजे तक | – | प्रभात फेरी (ईश्वर भजन के साथ)। |
| प्रातः 6.30 बजे से 7.30 बजे तक | – | सामुहिक व्यायाम (सूर्य नमस्कार आदि) प्राणायाम व योगा कार्यक्रम। |
| प्रातः 7.30 बजे से 8.15 बजे तक | – | आवास स्थल की सफाई एवं सजावट तथा अल्पाहार। |
| प्रातः 8.15 बजे से 8.45 बजे तक | – | शिविर निरीक्षण व मूल्यांकन। |
| प्रातः 8.45 बजे से 9.30 बजे तक | – | प्रार्थना, ध्वजारोहरण, आज का विचार, कार्यक्रम निर्देशन |
| प्रातः 9.30 बजे से 11.30 बजे तक | – | सर्वेक्षण कार्य संकलन (देशभक्तों की जीवनी) सम्पर्क कार्य परिवेश एवं पर्यावरण अध्ययन (प्रभारी सुविधानुसार कार्य विभाजन करे)। |
| दोपहर 11.30 बजे 1.30 बजे तक | – | भोजन व स्नान। |
| 1.30 बजे से 2.15 बजे तक | – | विश्राम व संकलन (देशभक्तों की जीवनी) सर्वेक्षण कार्य को लिखित रूप देना एवं प्रभारी द्वारा मूल्यांकन। |
| 3.00 बजे से 4.00 बजे तक | – | कौशल सम्बन्धी एवं ज्ञानात्मक कार्य। |
| 4.00 बजे से 4.30 बजे तक | – | अल्पाहार |
| 4.30 बजे से 5.30 बजे तक | – | कौशल सम्बन्धी अभ्यास कार्य। |
| 5.30 बजे से 6.30 बजे तक | – | खेलकूद। |
| 6.30 बजे से 7.30 बजे तक | – | भोजन। |
| 7.30 बजे से 8.00 बजे तक | – | सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयारी। |
| 8.00 बजे से 10.00 बजे तक | – | सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन। |
| रात्रि 10.00 बजे | – | शयन (ईश्वर स्तुति के छः वेद मंत्र पाठ) |

नोटः– आवास स्थल की स्वच्छता, जल व्यवस्था, भोजन बनाने का कार्य, अल्पाहार तैयार करना व उसका

विस्तार कार्य उप समूहवार होगा जिसमें क्रमशः प्रत्येक छात्र संभागी बनेगा।

**तृतीय एवं चतुर्थ दिवस**

तृतीय और चतुर्थ दिन के लिये शिविर कार्यक्रम अवधि, द्वितीय दिन की भाँति प्रातः 4.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक यथावत रहेगी। प्रतिदिन के आवश्यक कार्य यथावत समयानुसार होंगे।

प्रातः 9.30 बजे से 11.30 बजे तक

दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक

तथा 4.30 बजे से 5.30 बजे तक

की अवधि में प्रतिदिन कार्य में परिवर्तन होगा। इसमें सामुदायिक सेवा कार्य तथा रास्तों व नालियों का सुधार, सड़क निर्माण कार्य वृक्षारोपण नव रोपित वृक्षों की सुरक्षा कार्य, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु पोस्टर आदि।

**पंचम दिवस**

| | | |
|---|---|---|
| प्रातः 5.00 बजे | – | जागरण |
| प्रातः 5.00 बजे से 6.00 बजे तक | – | नित्य कर्म निवृत्ति। |
| प्रातः 6.00 बजे से 6.30 बजे तक | – | देशभक्ति गीत व ईश्वर भक्ति भजन। |
| प्रातः 6.30 बजे से 7.30 बजे तक | – | सूर्य नमस्कार (व्यायाम), प्राणायाम, योग कार्यक्रम। |
| प्रातः 7.30 बजे से 8.15 बजे तक | – | अल्पाहार आवास स्थल की सफाई। |
| प्रातः 8.15 बजे से 8.45 बजे तक | – | शिविर निरीक्षण व मूल्यांकन। |
| प्रातः 8.45 बजे से 9.30 बजे तक | – | प्रार्थना, ध्वजारोहरण, निर्देश आदि। |
| प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे तक | – | कौशल सम्बन्धी कार्य। |
| दोपहर 10.30 बजे 12.30 बजे तक | – | भोजन, डायरी लेखन। |
| दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक | – | समापन समारोह की तैयारी एवं प्रदर्शनी लगाना। |
| 1.30 बजे से 3.00 बजे तक | – | समापन समारोह। |
| 3.00 बजे से 4.00 बजे तक | – | प्रस्थान की तैयारी। |
| सायं 4.00 बजे | – | प्रस्थान |

## कार्य विभाजन

(अ) छात्र वार – प्रत्येक उपसमूह में कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जाना चाहिए, जिसमें कि बारी–बारी से सभी छात्रों को सभी प्रकार के कार्य सीखने के अवसर मिल सके। इसके लिए उप समूह में छात्रों की संख्या के अनुसार क्रमांक निश्चित कर लेना चाहिए, ताकि समय विभाग चक्र में नाम के स्थान पर क्रमांक अंकित किया जा सके।

## कार्य विभाजन, समय विभाग चक्र

(10 छात्रों के उप समूह का)

| दिन / कार्य | दोपहर का भोजन | सायं का भोजन | रसोई के बर्तनों की सफाई व्यवस्था | | जल कार्य | सेवा | सफाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दोपहर | सायं | | | |
| पहला दिन | – | – | – | – | 9, 10 | 9, 10 | सभी |
| दूसरा दिन | 1, 2 | 3, 4 | 8, 10 | 1, 2 | 5, 6 | 7, 8 | सभी |
| तीसरा दिन | 5, 6 | 9, 10 | 7, 8 | 5, 6 | 1, 2 | 3, 4 | सभी |
| चौथा दिन | 9, 10 | 1, 2 | 1, 2 | 9, 10 | 3, 4 | 5, 6 | सभी |
| पाँचवा दिन | 3, 4 | – | 3, 4 | – | 7, 8 | 1, 2 | सभी |

हस्ताक्षर समूह अधिकारी हस्ताक्षर उपसमूह नायक

यह कार्य विभाजन चक्र प्रत्येक उपसमूह में प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि देखकर कार्य कर सकें।

(ब) उप समूहवार – शिविर के कुछ सेवा कार्य जैसे फर्स्ट एड, डाक–सेवा, विद्यालय के ध्वज को आरोहण के लिए तैयार करना, सूर्यास्त से पूर्व उसे उतारना, प्रार्थना स्थल की सफाई, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था उप समूहवार करनी चाहिए। उप समूहवार कार्य विभाजन की सूचना प्रार्थना स्थल के सूचना पट्ट पर लगा देनी चाहिए। इसके लिए उप समूहों को संकेताक्षर आवंटित कर कार्य विभाजन करते हुए समय–विभाग चक्र में अंकित कर देना चाहिए।

कार्य वितरण का समय विभाग चक्र निम्नानुसार हो सकता है।

## सेवा कार्यों का उप समूहवार विभाजन चक्र

(छः उप समूह का)

| दिन / कार्य | डाक सेवा | फर्स्ट एड | ध्वज सेवा | प्रार्थना स्थल की सफाई | मनोरंजन कार्यक्रम व्यवस्था | जल सेवा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | प्रथम सत्र | द्वितीय सत्र |
| पहला दिन | A | B | C | D | E | - | F |
| दूसरा दिन | F | A | B | C | D | E | E |
| तीसरा दिन | E | F | A | B | C | D | D |
| चौथा दिन | D | E | F | A | B+F | C | C |
| पाँचवा दिन | B+C | C+D | D+E | F | A+E | A | B |

हस्ताक्षर समूह अधिकारी हस्ताक्षर उपसमूह नायक

## मूल्यांकन

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय के अन्तर्गत छात्र द्वारा किये गये कार्य का पूरा वितरण रखने के साथ उसका नियमित मूल्यांकन भी किया जाता रहेगा।

पाँच दिवसीय शिविर दोनों सत्रों में कभी भी आयोजित किया जा सकेगा। तथा कक्षान्तर्गत अधिगम कार्य हेतु निर्धारित कक्षा कालांशों में ही सम्पन्न किया जावेगा। कक्षा–अन्तर्गत अधिगम कार्यों और शिविरान्तर्गत कर्मो का मूल्यांकन समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय में निर्धारित पद्धति से ही सम्पन्न किया जावेगा।

स्तर निर्धारण इस आधार पर किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 81 – 100% | – | उत्कृष्ण |
| 61 – 80% | – | बहुत अच्छा |
| 41 – 60% | – | अच्छा |
| 21 – 40% | – | सामान्य |
| 0 – 20% | – | सामान्य से नीचे |

प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर छात्र का स्तर निर्धारण किये जाने के उपरान्त उसे श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

| | स्तर | | समग्र श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्कृष्ट | – | अ |
| 2. | बहुत अच्छा | – | ब |
| 3. | अच्छा | – | स |
| 4. | सामान्य | – | द |
| 5. | सामान्य से नीचे | – | ई |

यह समग्र–श्रेणी प्रत्येक छात्र के मूल्यांकन प्रपत्र में अंकित कर बोर्ड को भेज दी जायेगी। इसी समग्र–श्रेणी उल्लेख बोर्ड द्वारा, सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र में रहेगा।

समाजोपयोगी 'उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा' विषय के अन्तर्गत निर्धारित कालांशों का कार्य पूर्ण किये जाने पर ही प्रत्येक नियमित अभ्यर्थी को सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में प्रविष्टि होने की अनुमति दी जायेगी। शालप्रधान यह प्रमाणित करेंगे कि उनकी संस्थान से सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थी से उक्त अनिवार्य विषय के अन्तर्गत अपेक्षित निर्धारित कार्य पूरा कर लिया गया है।

छात्रों को उनके द्वारा कक्षा में किये गये कार्य व एक शिविर कार्य के आधार पर अंक प्रदान कर दिया जायेगा। इस स्तर निर्धारण के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को छात्र की समग्र श्रेणी से माह फरवरी के अन्त तक अवगत करा दिया जायेगा जिसका उल्लेख छात्र के सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र में किया जायेगा।

शिविर में प्रत्येक शिविर प्रभारी प्रतिदिन छात्रों का मूल्यांकन करता रहे ताकि शिविर समाप्ति पर शिविरार्थियों के मूल्यांकन का समेकित अभिलेख चारों क्षेत्रों में पूर्व हो सके।

शिविर में प्रतिदिन प्रातः काल शिविर स्थल का उप समूहवार निरीक्षण किया जाये। निरीक्षण में

व्यक्तिगत सफाई, छात्र पोशाक, आवास स्थल की सफाई एवं सज्जा, रसोई स्थल की सफाई, बर्तनों की सफाई बिस्तर ले आना आदि।

शिविर का प्रथम दिन उद्घाटन और अन्तिम दिन समापन समारोह के रूप में आयोजित किया जा सकता है। ऐसे शिविरों में छात्रों द्वारा किये जा रहे निर्माण उत्पादन एवं समाज सेवा के कार्यों की अभिभावक को दिखाया जाना चाहिये, ताकि वे भी शिक्षा के परिवर्तन स्वरूप से परिचित हो सके।

शिविर के अन्तर्गत संभागी द्वारा किये गय कार्य का लेखा–जोखा रखने के साथ मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी मूल्यांकन के आधार पर छात्र की समग्र श्रेणी बन सकेगी।

## महत्वपूर्ण अभिलेख प्रपत्रों के प्रारूप

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में नियमित छात्रों को तभी प्रवेश देगा। जब संस्था प्रधान यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर देगा कि छात्र के कक्षान्तर्गत अधिगम कार्य एवं शिविर में भाग लेकर शिविर–कार्य पूरा कर लिया है।

ऐसा प्रमाण पत्र देने से पूर्व प्रत्येक छात्र का पूर्ण अभिलेख विद्यालय में रखा जाना आवश्यक है।

## शिविर आयोजन की सूचना का प्रपत्र

शिविर आयोजन से 15 दिन पूर्व बोर्ड को निम्नलिखित प्रपत्र भर कर भेजना चाहिए।

विद्यालय का नाम – .....

स्थान – .....

जिला – .....

विद्यालय से शिविर स्थल की दूरी – .....

| शिविर स्थल | शिविर अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक | शिविर में भाग लेने वाले छात्र –छात्राओं की कक्षानुसार संख्या | शिविर में भाग लेने वाले अध्यापकों की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | | | | |

स्थान .....  दिनांक .....

## शिविर समाप्ति पर बोर्ड एवं विभाग को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र

## शिविर प्रतिवेदन

1. विद्यालय का नाम
2. जिला
3. शिविराधिपति का नाम
4. शिविर संचालक का नाम, पद एवं योग्यता
5. शिविर स्थल का पता एवं दूरी
6. शिविर अवधि ..... , दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
7. शिविरार्थियों की संख्या.....

| कक्षा | कक्षा में कुल शिक्षार्थी की | | शिविर में भाग लेने वालों की संख्या | | अनुपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| योग | | | | | | | |

8. शिविर–संचालन में सहयोग देने वालों का विवरण–

(अ) पूर्ण समय शिविर में रहने वाले शिक्षकों की संख्या –

अध्यापक ..... अध्यापिका ..... कुल संख्या .....

(ब) आंशिक रूप से रहने वाले शिक्षकों की संख्या –

अध्यापक ..... अध्यापिका ..... कुल संख्या .....

(स) विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आये शिक्षकों का विवरण –

| क्र.सं. | नाम व पता | उनके द्वारा आयोजित अधिगम कार्य |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

9. अधिगम कार्यों का विवरण

| क्र.सं. | अधिगम कार्य | समय जो दिया गया | भाग लेने वालों की संख्या | अनुमानित उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

10. शिविर में आयोजित वार्ताओं का विवरण

| क्र.सं. | वार्ताकार का काम | पद का नाम | वार्ता का विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

11. शिविर में कठिनाइयों का विवरण–

1.

2.

3.

4.

5.

12. शिविर में आये अतिथियों का विवरण –

(अ) शिविर में आये अतिथियों के नाम व पद जिन्होंने शिविर का अवलोकन किया है –

1. .....

2. .....

3. .....

(ब) अभिभावकों की संख्या .....

(स) अन्य अतिथियों की संख्या .....

13. शिविर के सम्बन्ध में संस्था प्रधान का अभिमत –

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर शिविर संचालक

दिनांक .....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय मुहर